# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

**राजस्व निगरानी संख्या 08/ 19** **वर्ष 2019**
**जीसीएमएस संख्याः– (2019/00110**

बउनवानीः–1. प्रभूदास पुत्र सुखदेवा जाति बाबाजी निवासी बडा गांव सरवर, तहसील बौंली

**बनाम**

1. लडडू पुत्र हरजीराम जाति बैरवा, निवासी बडा गांव सरवर, तहसील बौंली
2. श्रीराम पुत्र हरजीराम जाति बैरवा, निवासी बडा गांव सरवर, तहसील बौंली
3. राजाराम पुत्र हरजीराम जाति बैरवा, निवासी बडा गांव सरवर, तहसील बौंली
4. प्रेम पुत्री हरजीराम जाति बैरवा, निवासी बडा गांव सरवर, तहसील बौंली
5. लाडो बेवा हरजीराम जाति बैरवा, निवासी बडा गांव सरवर, तहसील बौंली
6. सरकार जरिये तहसीलदार बौंली, तहसील बौंली

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 26.6.2000 सहायक कलेक्टर(प्रथम) सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 )

उपस्थितः– 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील प्रार्थीगण
2. श्री चिरंजी लाल बैरवा — वकील अप्रार्थी

**–: निर्णय :–** **दिनांक 08.12.2021**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति सहायक कलेक्टर(प्रथम) सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 26.6.2000 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि आवंटन कमेटी द्वारा नियमों के विपरीत बिना घोषणा पत्र जारी किये गये ख0न0 1237 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन हरजीराम पुत्र काना बैरवा के पक्ष मे कर भूल की है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता द्वारा खसरा नम्बर 1237 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश नही करने तथा ख0न0 1237 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के संबंध में किसी भी प्रकार की पटवारी रिपोर्ट नही लेकर ख0न0 1237 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता हरजी को आवंटन कर आवंटन कमेटी द्वारा भूल की है। आराजी ख0न0 1237 रकबा 1बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बडा गांव सरवर प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात से मिली हुई है तथा इस पर सम्वत् 2031 के पूर्व से प्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा है इसके एक कोने मे प्रार्थी ने मवेशियो को बांधने हेतु बाडा व घर बना रखा है। आवंटन से पूर्व आवंटन कमेटी को यह देखना आवश्यक है कि ख0न0 1237 ओक्यूपाईड भूमि तो नही है इस संबंध मे पटवारी की [illegible] आवश्यक है लेकिन आवंटन कमेटी ने पटवारी से ख0न0 1237 के संबंध मे [illegible]ये बिना जो आदेश दिया है वह काबिले खारिज है। प्रार्थी का [illegible] घोषणा पत्र के आवंटन करने से प्रार्थना पत्र नियमन पेश नही हो सकता [illegible] यह तर्क भी दिया कि [illegible] आवंटन प्रार्थना पत्र पर कोई दिनांक अंकित नही है तथा आवंटन प्रार्थना पत्र रजिस्[illegible] दर्ज नही है। तथा आवंटन प्रार्थना पत्र ख0न0 658 गै.मु. [illegible] की भूमि को आवंटन बाबत पेश किया गया है जो कि आवंटन योग्य नही है यह तर्क भी दिया कि पूर्व में ख0न0 1237

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:38 IST
Reason: SelfAttested



जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन कमेटी द्वारा हजारी पुत्र हरदेवा गुर्जर को किया था जिसको प्रार्थी की दर. पर दिनांक 18.8.1993 को अति0 जिला कलेक्टर द्वारा नियमों के विपरीत आवंटन करने के कारण खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात आवंटन कमेटी को चाहिए था कि वर्ष 2000 में आवंटन करने से पूर्व प्रार्थी को सूचित करे लेकिन योग्य अदालत मातहत ने नेचुरल जस्टिस की अवहेलना कर भूल की है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधिवत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नही है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 26.6.2000 को आवंटन सलाहकार समिति ने मुझ अप्रार्थी को ग्राम बडा गांव सरवर के साबिक खन0 1237मे से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया है जिसपर आवंटन से लेकर अब तक अप्राथी का कब्जा काश्त रहा है। यह तर्क भी दिया कि मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। आवंटन आदेश पर आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर है। आवंटन के पश्चात दो गवाहों के समक्ष मुझ अप्रार्थी को आवंटित भूमि का कब्जा सम्भलाया गया है। तथा प्रार्थी को आवंटित भूमि गै.मु. नाला की भूमि नही है। चूंकि आवंटित भूमि पर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए अब आवंटन खारिज किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि साबिक ख0न0 1237 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा का आवंटन विधि विरूद्व होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात पेश नही किया जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सकें। वकील अप्रार्थी के कथन एवं मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटन कमेटी की सिफारिश पर अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटित की गयी है। आवंटित भूमि पर आवंटी को दो गवाहों के समक्ष कब्जा भी सम्भलाया गया है तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। केवल मात्र आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक अंकित नही होने, हरजी गुर्जर के पक्ष मे किया गया आवंटन पूर्व मे खारिज हो जाने एवं आवंटन कमेटी के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अंकित नही होने के आधार मात्र से आवंटन खारिज किया जाना विधिसम्मत नही है। मुताबिक मूल आवंटन मिसल उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया आवंटन की श्रेणी मे नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन खारिज किया जाना न्याय संगत नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible]।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को लिखवाकर ...कर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:57:38 IST
Reason: SelfAttested